फर्द अहकाम

नरेन्द्र सिंह बनाम शांति देवी

61/21

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	3/1/24	प० वादी उपस्थित पत्रावली वास्ते अवलोकन एवं आदेश दिनांक 5/1/24 को पेश हो।	
	5/1/24	प० वादी उपस्थित पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 18/1/24 को पेश हो।	
	18/1/24	प० वादी उपस्थित पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 29/1/24 को पेश हो।	
	29/1/24	प० वादी उपस्थित पत्रावली का अवलोकन एवं बहस अधिवक्ता वादीगण की मनन किया जाकर वादी का वाद तहसीलदार चौमू से दिनांक 28/10/23 प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली पेशगी शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलेक्टर (...) (चौमू, जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–61/2021
उनवान– नरेन्द्र सिंह बनाम शांति देवी
निर्णय दिनांक– 29.01.2024

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–61/2021

उनवान

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र बालूराम
2. मांगीलाल पुत्र बालूराम
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. शान्ति देवी पत्नी बोदूराम जाति अहीर, निवासी ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–29.01.2024

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 25.08.2023 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जिस पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 25.10.2023 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि खाता संख्या 442 के हाल खसरा नम्बर 1714 रकबा 0.19 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.19 हैक्टेयर खाता संख्या 443 के खसरा नम्बर 443 के खसरा नम्बर 1713/1 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम हाडोता, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. नरेन्द्र सिंह, मांगीलाल पुत्र बालूराम जाति अहीर सा0देह खातेदार का खसरा नम्बर 1714/1 कुल रकबा 0.15 हैक्टेयर [illegible] 1 का कुल रकबा 0.15 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. शांति देवी पत्नि बोदूराम [illegible] का खसरा नम्बर 1714/2 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1713/1 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.15 हैक्टेयर भूमि प्राप्त ह[illegible] कब्जे में रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–61/2021
उनवान– नरेन्द्र सिंह बनाम शांति देवी
निर्णय दिनांक– 29.01.2024

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0/मुख्यालय)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–61/2021
उनवान– नरेन्द्र सिंह बनाम शांति देवी
निर्णय दिनांक– 29.01.2024

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–61/2021

उनवान

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र बालूराम
2. मांगीलाल पुत्र बालूराम
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. शान्ति देवी पत्नी बोदूराम जाति अहीर, निवासी ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषण व स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

1. नरेन्द्र सिंह, मांगीलाल पुत्र बालूराम जाति अहीर सा0देह खातेदार का खसरा नम्बर 1714/1 कुल रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.15 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. शांति देवी पत्नि बोदूराम जाति अहीर सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 1714/2 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1713/1 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.15 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 29.01.2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:31:23 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

हस्ताक्षर
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)
ओहदा

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–61/2021
उनवान– नरेन्द्र सिंह बनाम शांति देवी
निर्णय दिनांक– 29.01.2024

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	1
जोड़	3	जोड़	1

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner